बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक 8081 (अ) / पटना, दिनांक 19.8.16

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता,
भवन निर्माण विभाग।

विषय : आरक्षित वर्ग के लिए निविदा के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या 5931(एस) दिनांक 01.07.2015 द्वारा राज्य के सभी कार्य विभागों के अधीन वैसे कार्यों, जिसकी प्राक्कलित राशि 15 लाख रूपया या उससे कम है, उनमें अंचल स्तर पर वार्षिक कुल कार्यों के 50% कार्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के संवेदकों के लिए आरक्षित करते हुए उक्त कोटि के अंतर्गत ही प्राप्त निविदाओं के माध्यम से कराने के संबंध में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं।

2॰ भवन निर्माण विभाग के स्तर से ससमय इस निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु आप सभी को स्मारित किया जाता रहा है।

3॰ समीक्षा से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कई अंचलों में इस दिशा–निर्देश के अनुपालन में शिथिलता बरती जा रही है, जो अत्यंत ही गंभीर विषय है।

4॰ सरकार के इस नीति निर्णय को शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराना सभी अधीक्षण अभियंता की निजी जिम्मेदारी है।

5॰ सरकार के इस निर्देश के अनुपालन की समीक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन से विभाग ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की आरक्षण रोस्टर पंजी की छाया–प्रति प्राप्त की जाय। संबंधित मुख्य अभियंता द्वारा इसकी समीक्षा की जाय और तदोपरान्त विभाग को मुख्य अभियंता स्तर से प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

6॰ तद्नुसार निदेश दिया जा रहा है कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के रोस्टर पंजी की छाया–प्रति अभिप्रमाणित करते हुए अपने मुख्य अभियंता कों 31.08.2016 तक अनिवार्य रूप से

भेजें। सभी मुख्य अभियंताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे 15 सितम्बर तक इसकी समीक्षा कर एक समीक्षात्मक टिप्पणी अभियंता प्रमुख के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपस्थापित करें।

प्रधान सचिव के स्तर पर सितम्बर माह के तीसरे सोमवार दिनांक 19.09.2016 को होने वाली साप्ताहिक बैठक में इस निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह०/–

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 8081 (बी) /पटना, दिनांक 19.8.16

प्रतिलिपि : अभियंता प्रमुख/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

18/8/16

प्रधान सचिव